

पत्र संख्या-14/निजी-14/2017- 10609/सा0प्र0

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),  
बिहार, पटना।  
प्रभारी पदाधिकारी,  
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 05/06/2026

विषय: श्री पूर्णेन्दु कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-25/26) के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री पूर्णेन्दु कुमार द्वारा दिनांक-14.04.2026 के अपराह्न में श्री नारायण प्रसाद, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद से प्रभार त्याग कर, दिनांक-15.04.2026 के पूर्वाह्न में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-7558, दिनांक- 29.04.2026 के अनुपालन में श्री कुमार द्वारा दिनांक-02.05.2026 के पूर्वाह्न से दिनांक-20.05.2026 तक जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण (बेतिया) में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया गया।

3. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं०-9005, दिनांक- 20.05.2026 के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक-21.05.2026 के पूर्वाह्न में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में योगदान दिया गया तथा मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना सं०-597, दिनांक- 26.05.2026 के अनुपालन में दिनांक-26.05.2026 के पूर्वाह्न में माननीया मंत्री, उद्योग एवं खेल विभाग के आप्त सचिव (सरकारी) का पदभार ग्रहण किया गया।

3. इस प्रकार, श्री कुमार उक्त अवधि में से प्रतिनियुक्ति अवधि (दिनांक-02.05.2026 से 20.05.2026) को छोड़कर, शेष दो अवधियों— (i) दिनांक-15.04.2026 से 01.05.2026 तक एवं (ii) दिनांक-21.05.2026 से 25.05.2026 तक— में बिना प्रभार के पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे।

4. अतः श्री पूर्णेन्दु कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-25/26) की दिनांक- 15.04.2026 से 25.05.2026 तक की प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-


(क) दिनांक-15.04.2026 से 01.05.2026 एवं दिनांक-21.05.2026 से 25.05.2026 को मौलिक नियमावली के नियम-9(6)(b)(iv) (जो बिहार सेवा संहिता के नियम-14(b) के सदृश है), के तहत 'पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि' के रूप में।

(ख) दिनांक-02.05.2026 से दिनांक-20.05.2026 तक कर्तव्य अवधि के रूप में।


उक्त अवधि में श्री कुमार को कोटि वेतन देय होगा।

5. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

  
(राजीव रंजन दास)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/निजी-14/2017-...../सा०प्र०, पटना-15, दिनांक: 05/06/2025  
प्रतिलिपि: श्री पूर्णेन्दु कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-25/26), आप्त सचिव  
(सरकारी), माननीया मंत्री, उद्योग एवं खेल विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के  
आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन  
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल  
पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव